



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267022
CG-DL-E-18102025-267022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4586]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4715(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH 161G के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 32.1, कि.मी. 36.6 से कि.मी. 42.1 और कि.मी. 42.1 से कि.मी. 53.09 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 161G पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप-विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बलापुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH161G के कि.मी. 0 से कि.मी. 32.1 तक	महाराष्ट्र	अकोला	पातुर	1 हििंगणा 2 दिग्रस खु. 3 बाभूळगाव, 4 बाभळी 5 देऊळगाव 6 मौजे पातुर
2	उप-विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बलापुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH161G के कि.मी. 36.6 से कि.मी. 42.1 तक	महाराष्ट्र	अकोला	बाळापूर	1 कासारखेड 2 कस्तखेड 3 हििंगणा शेळद 4 मांडवा बु. 5 गाडेमोड 6 खामखेडा 7 सांगवी जोमदेव 8 धनेगाव 9 मौजे वाडेगाव 10 गाजीपूर 11 बाळापुर 12 मोधापूर
3	उप-विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, खामगाँव	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH161G के कि.मी. 42.1 से कि.मी. 53.09 तक	महाराष्ट्र	बुलढाणा	शेगाव	1 जवळा पळसखेड 2 जवळा बु. 3 शेगाव

[फा. सं. RW/NH-12014/135/2024-MAH/Zone-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4715(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 0.00 to Km. 32.1, Km. 36.6 to Km. 42.1 and Km. 42.1 to Km. 53.09 on NH 161G in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH161G in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer, & CALA Balapur	NH161G KM 0 TO KM 32.1	MAHARASHTRA	AKOLA	Patur	1 Hingana 2 Digras khu. 3 Babhulgaon 4 Babhali 5 Deulgaon 6 Patur
2	Sub Divisional Officer, & CALA Balapur	NH161G KM 36.6 TO KM 42.1	MAHARASHTRA	AKOLA	Balapur	1 Kasarkhed 2 Kastkhed 3 Hingana Shelad 4 Mandva Bk. 5 Gademod 6 khamkheda 7 Sangvi Jomdev 8 Dhanegaon 9 Wadegaon 10 Gazipur 11 Balapur 12 Modhapur
3	Sub Divisional Officer, & CALA Khamgaon	NH161G KM 42.1 TO KM 53.09	MAHARASHTRA	BULDHANA	Shegaon	1 Javala Palaskhed 2 Jawala Bu. 3 Shegaon

[F. No. RW/NH-12014/135/2024-MAH/Zone-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director